<u>बिक्री एजेंसी अनुबंध पत्र</u>

यह बिक्री एजेंसी अनुबंध पत्र निम्नलिखित संस्थाओं के बीच किया गया है, जिसे दिनांक ..../....../2025 से प्रभावी माना जायेगा है, जिन्हें सामूहिक रूप से ''पक्ष'' के रूप में जाना जायेगा :–

श्री आशीष चावला, डायरेक्टर कम्पनी सर्वश्री जे0एस0 क्लीनटेक प्रा0 लि0, ए–905/11, इन्दिरा नगर, लखनऊ–226016, उ0प्र0 ....प्रथम पक्ष (कम्पनी)।

एवं

श्री ...., ..., सर्वश्री.. .... (पता...................................), उ0प्र0 ....द्वितीय पक्ष (एजेंसी)।

यह कि कम्पनी नीचे सूचीबद्ध टिकट की बिक्री अथवा प्रचार–प्रसार हेतु एजेंसी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए सहमत है । इसके अलावा बिक्री एजेंसी इस नियुक्ति को स्वीकार करती है ।

1. यह कि कम्पनी द्वारा **"JALSA CRUISE LINE',** के नाम से "UP Tourism Jetty, Saryu River Front, Ayodhya" अथवा "Namo Ghar" Varanashi में Electric Ferry की टिकट की बिक्री तथा (Electric Ferry) का प्रचार–प्रसार हेतु सर्वश्री.. ....एजेंसी को नियुक्त करती है ।
2. यह कि विक्रय एजेंसी को टिकट की निर्धारित मूल्य पर ही टिकट की बिक्री करनी है साथ ही बिक्री की गयी टिकट का मासिक विवरण कम्पनी को दिया जायेगा ।
3. यह कि विक्रय एजेंसी को कम्पनी की website https://jalsacruise.in पर लॉगिंन कर Agent के तौर पर रजिस्ट्रड किया जायेगा, जहॉ से विक्रय एजेंसी समस्त टिकट बिक्री करेगा । किसी भी प्रकार का मैनुअल टिकट विक्रय एजेंसी द्वारा की गयी बिक्री टिकट मान्य नही होगी।
4. यह कि विक्रय एजेंसी को देय कमीशन में निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर सभी टिकट शामिल होंगे, भले ही टिकट की बिक्री एजेंसी द्वारा स्वंय मांगे गए हो ।
5. सभी कमीशन की गणना एजेंसी द्वारा ग्राहक को बेंचे गये कुल टिकट की शुद्ध बिक्री के आधार पर............प्रतिशत की गणना पर देय होगा ।

   बिक्री एजेंसी को छूट या कोई अन्य मूल्य निर्धारित करने का कोई अधिकार नही होगा । जब तक कि कम्पनी से पूर्व लिखित सहमति प्राप्त न हो जाए ।

6. इसके अतिरिक्त, कम्पनी बिक्री एजेंसी को 30 दिन पहले सूचना देकर मूल्य निर्धारण, समय तालीका, नियम व शर्ते, या अन्य किसी भी तरह का बदलाव कर सकती है । ये बदलाव अधिसूचना तिथि से पहले स्वीकार की गई किसी भी बिक्री को प्रभावित नही करेगा ।
7. बिक्री एजेंसी किसी भी परिस्थिति में इस बिक्री एजेंसी समझौते में कम्पनी के संबंध में कोई भ्रामक या गलत प्रतिनिधित्व नही करेगी ।
8. कम्पनी आवश्यकतानुसार समय–समय पर बिक्री एजेंसी के साथ–साथ एजेंसी के कर्मिको के लिए आवश्यक सभी प्रकार के टिकट, प्रचार–प्रसार सामग्री तथा बिक्री प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी ।
9. इस बिक्री एजेंसी समझौते की अवधि के दौरान बिक्री एजेंसी को निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर टिकट का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा, जिससे कम्पनी के व्यापार नाम भी शामिल होंगे ।
10. यह बिक्री समझौता, समझौते की तारिख से ....वर्ष की अवधि तक पूर्णतयः लागू रहेगा।
11. यह समझौता निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में समाप्त किया जा सकता है :–

    (क) किसी भी पक्ष द्वारा दिवालियापन के लिए आवेदन करना,

    (ख) सूचीबद्ध शर्तों का कोइ भी उल्लघंन जो नोटिस के 30 दिनों के भीतर ठीक नही किया जा सकता है ।

    (ग) किसी भी पक्ष को अपराध या अनैतिक कार्यो में समलिप्त पाये जाने पर, जो समझौते की शर्तों के पालन करने के प्रदर्शन और क्षमता को प्रभावित करता है ।

लखनऊ
दिनांक   हस्ताक्षर

गवाह :–

1–   प्रथम पक्ष
                                                  (जे0एस0 क्लीनटेक प्रा0 लि0)

2–   हस्ताक्षर

                                                  द्वितीय पक्ष (एजेंस)